विविध बैंक प्रकरण सं0 61/2019 (RCMS 2019/00100) भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर जरिये श्री निर्मल सिंह संधू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एस्सेट्स क्रेडिट केन्द्र, नगरपालिका रोड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स डी.आर.एस. ईंट उद्योग –प्रो. श्रीमती रोशनी देवी 2. लालचंद पुत्र धन्नाराम 3. कृष्णलाल पुत्र धन्नाराम 4. भीम सैन पुत्र श्री शेर सिंह निवासी गांव किशनपुरा उतराध्दा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.07.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स डी.आर.एस. ईंट उद्योग–प्रो. श्रीमती रोशनी देवी, लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन को ऋण सुविधा के रूप में 16.00 लाख रूपये (अखरे रूपये सोलह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 02.12.2013 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन का प्लॉट नं. 03, सैक्टर नं. 01, स्टेशन रोड, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 13'3" गुणा 120 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 27.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 17.12.2018 को 16,95,151/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 17.12.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी लालचंद, कृष्ण लाल एवं भीमसैन द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति प्लॉट नं. 03, सैक्टर नं. 01, स्टेशन रोड, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 13'3'' गुणा 120 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स डी.आर.एस. ईंट उद्योग–प्रो. रोशनी देवी, लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन को 16.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये सौलह लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 02.12.2013 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी लालचंद, कृष्ण लाल एवं भीमसैन द्वारा अपनी अचल प्लॉट नं. 03, सैक्टर नं. 01, स्टेशन रोड, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 13'3'' गुणा 120 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 27.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी एवं बंधककर्त्ता/जमानतदार जो उक्त सम्पत्ति के स्वामी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 17.12.2018 को डाक द्वारा भिजवाये गये। रोशनी देवी के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी को नोटिस 13(2) प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति रसीद एवं सुप्रीडैंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, श्रीगंगानगर के पत्र की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन को उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 03, सैक्टर नं. 01, स्टेशन रोड, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 13'3'' गुणा 120 वर्गफुट) जो ऋणी लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.12.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 17.12.2018 को 60 दिवस में राशि

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स डी.आर.एस. ईंट उद्योग–प्रो. रोशनी देवी, लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप धारा 13(2) का मूल नोटिस, पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं सुप्रीडैंट ऑफ पोस्ट आफिस रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक–शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल सम्पत्ति** प्लॉट नं. 03, सैक्टर नं. 01, स्टेशन रोड, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 13'3" गुणा 120 वर्गफुट) जो कि ऋणियों लालचंद, कृष्णलाल एवं भीमसैन के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर